"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 641] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/8/1886. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/8/1056 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला बेमेतरा के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला बेमेतरा की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	निरंक		

जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति कन्हेरा	ओड़िया	ओड़िया, बनियाडीह अगरी, तेंदो
2	सेवा सहकारी समिति केहका	पिपरिया	बीजागोड़, कोरवाय पिपरिया
3	सेवा सहकारी समिति साजा	परसबोड़	परसबोड़, माटरा
4	सेवा सहकारी समिति परपोड़ी	भटगांव	भटगांव, कमकावाड़ा, बुड़ेरा, बगडुमार, तिरियाभाट, सोनपांडर
5	सेवा सहकारी समिति परपोड़ी	जानो	कुरलू
	सेवा सहकारी समिति चेचानमेटा		जानो, रानो, मुढिया
6	सेवा सहकारी समिति गाड़ाडीह	लुक	लुक, पेण्ड्रावन
7	सेवा सहकारी समिति कोंगियाकला	मासुलगोंदी	मासुलगोंदी, कोगियाखुर्द, तुमड़ीपार
8	सेवा सहकारी समिति थान खम्हरिया	नवागांवकला	नवागांवकला, ठरकपुर, जेवरा,
9	सेवा सहकारी समिति पदुमसरा	कंदई	कंदई, रौद्रा, मोतेसरा, हाड़हुली, केछवई
10	सेवा सहकारी समिति बीजा	तेन्दुआ	तेन्दुआ, सेमरिया, कातुलबोड़
11	सेवा सहकारी समिति देवरबीजा	केशडबरी	केशडबरी, बोतका, चिखला, सुरूजपुरा
12	सेवा सहकारी समिति भिभौंरी	हरदी	हरदी, गब्दा, लाटा, भालेसार
13	सेवा सहकारी समिति हसदा	सांकरा	सांकरा, देवादा
14	सेवा सहकारी समिति कुसमी	कुम्ही	कुम्ही, खर्रा

15	सेवा सहकारी समिति टकसींवा	लावातरा	लावातरा
	सेवा सहकारी समिति लेंजवारा		भिलौरी
16	सेवा सहकारी समिति सोढ़	भाठासोरही	भाठासोरही, नवागांव, सिवांर
17	सेवा सहकारी समिति सरदा	आन्दु	आन्दु, अतरगढ़ही, बुढ़ाजौंग, बावनलाख, सिंगदेही
18	सेवा सहकारी समिति मोहभट्ठा	परपोड़ा	परपोड़ा, खिसोरा
19	सेवा सहकारी समिति बीजाभाट	बसनी	बसनी, मटका
20	सेवा सहकारी समिति कंतेली	गांगपुर	गांगपुर, बहुनवागांव, सिरवाबांधा
21	सेवा सहकारी समिति कुसमी	खैरझिटी	खैजझिटी, अर्जुनी, बोरिया, बगौद
22	सेवा सहकारी समिति चंदनू	बिटकुली	बिटकुली, उसलापुर, झिरिया, करंजिया
23	सेवा सहकारी समिति दाढ़ी	लालपुर	लालपुर, पंचभैया, , मड़ई, अमचो
24		जांता	कोदवा, सुरुंगदहरा, पेण्ड्री, सनकपाट
	सेवा सहकारी समिति उमरिया		जांता, बहरबोड, मरजादपुर,
25	सेवा सहकारी समिति कुरदा	बटार	बटार, नेवासपुर, भैसबोड़खुर्द, भवरदा, अमलीडीह, हेमाबंद, सुरकी, नवागांव, रामपुर
26	सेवा सहकारी समिति झाल	पडकीडीह	पड़कीडीह, झालम, मरका, खाम्ही, सिंघनपुरी, घठोली
27	सेवा सहकारी समिति खण्डसरा	करचुवा	करचुवा
28	सेवा सहकारी समिति पेण्ड्रीतराई	मजगांव	मजगांव, पण्डरभट्ठा, छीतापार
29	सेवा सहकारी समिति छिरहा	जंगलपुर	जंगलपुर, गांगपुर, गोरखपुर, सोनपुरी, नवा.खुर्द, दामापुर, बिरमपुर
30	सेवा सहकारी समिति नवागढ़	गनिया	गनिया, लालपुर, मुरकुटा, जोगीपुर, हरदी, तिलईपार
31	सेवा सहकारी समिति मारों	झुलना	चक्रवाय, झुलना, भिलौनी

32	सेवा सहकारी समिति बदनारा	मेहना	मेहना, मनोधरपुर, खपरी
	सेवा सहकारी समिति बुंदेला		घोघरा
33	सेवा सहकारी समिति कटई	कुंवा	कुंवा, मुंगवाय, बहरबोड़, भालूपान, नवागांव, बूचीपुरी, सेनगांव
34	सेवा सहकारी समिति नांदघाट	चिचोली	चिचोली, किरता, करमसेन, अकोली, खैरा
35	सेवा सहकारी समिति कुवंरा	एरमशाही	एरमशाही, मुरकुटा, ईटई, ढाबापार
36	सेवा सहकारी समिति गोढ़ीकला	गनियारी	गनियारी, केंवरा जेवरा, धनौरा
37	सेवा सहकारी समिति सम्बलपुर		टिंगाली जेवरा, बेलटुकरी
		तेन्दुआ	तेन्दुआ, चाकापेण्ड्रा, बोटेबोड़, खटई, रमपुरा, जैतपुरी
38	सेवा सहकारी समिति पुटपुरा		मुड़पार
		झिलगा	झिलगा, बेंवरा, जुनवानीकला, जुनवानीखुर्द

जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – तीन

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है
1	2	3	4	5
1	*निरंक*			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.